राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6034/2022

डॉ. राहुल गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
4. डॉ0 इन्द्रा मौर्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.11.2022
आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनूप पारीक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी दर्शाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलासिया, उदयपुर में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति आदेश दिनांक 03.09.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर हो चुकी है। इस प्रकार आरएसआर के नियम 20 के विपरीत जाकर निम्नतर पद पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। इसी आधार पर अधिकरण के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2022 से विवादग्रस्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.11.2022 का क्रियान्वयन अपीलार्थी की सीमा तक अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया तथा आदेश दिए गए अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से स्थगन निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2022 के द्वारा

अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया किन्तु अपीलार्थी का यह कथन पूर्णतः निराधार है कि प्रत्यर्थी संख्या 04 को समायोजित करने के उद्देश्य से उसका स्थानान्तरण किया गया है, जबकि आदेश प्रशासनिक कारणों से लोकहित में जारी किया गया है। अपीलार्थी प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद की अहर्ता रखता है किन्तु आदेश में उसके संबंध में चिकित्सा अधिकारी का अंकन लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया विभाग द्वारा इस त्रुटि को दिनांक 19.12.2022 को सही कर दिया गया है तथा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.11.2022 में संशोधन करते हुये अपीलार्थी के पद नाम को चिकित्सा अधिकारी के नाम पर प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर दिया गया। राज्य सरकार अपने अधीन कार्मिकों की सेवाएं राज्य सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर ले सकती है तथा प्रत्येक कार्मिक का यह कर्त्तव्य है कि वह अनुशासनबद्ध होकर राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करे। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया एवं जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी एक ही स्थान पर दिनांक 20.07.2004 से पदस्थापित है, का नियमानुसार मनोचिकित्सा केन्द्र में अपीलार्थी का पद नहीं होने के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तण मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर से सीएचसी फलासिया, उदयपुर किया गया है, जिसकी पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने दिनांक 22.11.2022 (अनुलग्नक–आर4/1) को कार्यग्रहण कर लिया तथा स्थानान्तरण आदेशों की पालना हो चुकी है। संशोधित आदेश दिनांक 19.12.2022 (अनुलग्नक–आर4/2) के द्वारा अपीलार्थी का पद प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी मानते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कोई पद नहीं है तथा अपीलार्थी मनोरोग से संबंधित कोई शैक्षणिक योग्यता भी नहीं रखता है तथा ना ही पीजी है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 वरिष्ठ विशेषज्ञ मनोरोग में पदोन्नत कार्मिक है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का पूर्व में आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर से सीएचसी फलासिया, उदयपुर में स्थानान्तरण किया गया था, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का पद गलत दिखाते हुए स्थानान्तरण किया गया था, जिसके विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4379/2022 में चुनौती दी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 27.10.2022 (अनुलग्नक–आर4/3) को स्थगन आदेश जारी किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के पति डॉ. द्वारका प्रसाद मौर्य राजकीय कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर में वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव

एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस–पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने रिजोइन्डर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी पीसीएमओ के पद पर कार्यरत है तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 ने वरिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग) के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि उत्तरदाता जो वरिष्ठ विशेषज्ञ मनोरोग का पद रखती है उसके अनुसार ही उसे पदस्थापित किया है तथा अपीलार्थी का कोई भी पद मनोचिकित्सक केन्द्र में नहीं है इसके अतिरिक्त यह भी आपत्ति ली है कि एक ही पद पर दो बार क्रमोन्नत डीएससीपी के तहत नहीं किया जा सकता है उपरोक्त दोनो आक्षेप प्रत्यर्थी संख्या 4 गलत रूप से लिये गये है क्योकि प्रत्यर्थी संख्या 4 वरिष्ठ विशेषज्ञ मनोरोग का पद धारण करती है परन्तु मनोचिकित्सालय में ऐसा कोई भी पद स्वीकृत नहीं है, जो विभाग के पत्र दिनांक 03.06.2023 (अनुलग्नक–6) से प्रमाणित है। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अपने जवाब में पत्र दिनांक 19/20.12.2022 (अनुलग्नक–8) का उल्लेख करते हुए कहा है कि अपीलार्थी का पद संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पढ़ा जाये इसलिए अपीलार्थी को निम्न पद पर स्थानान्तरित नहीं किया जावें। गलत है क्योंकि उपरोक्त पत्र दिनांक 20.12.2022 के द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 4 व अपीलार्थी के ही पदनाम संशोधित किये है जबकि उक्त आदेश में अन्य बहुत सारे कर्मचारी है जो कि उच्चतर पद रखते हैं व उन्हें निम्न पद पर स्थानान्तरित किये है उनका कोई संशोधन नहीं है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–9) से उपरोक्त अपील को शीघ्रातीशीघ्र निस्तारित करने हेतु आदेशित किया है वह भी केवल अपीलार्थी की हद तक पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 बहुत ही प्रभावशाली महिला है तथा येन केन प्रकारेण इसी स्थान पर कार्यरत रहना चाहती है इसलिए उसने पूर्व में दिनांक 26.02.2022 (अनुलग्नक–10) को विभाग में प्रार्थना पत्र देकर इसी स्थान पर कार्य करने हेतु अनुशंषा की है। अतः अपीलार्थी की अपील में अंतिम बहस सुनकर आक्षेपित आदेश को निरस्त करने हेतु समुचित आदेश फरमावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी, राजकीय अधिवक्ता एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में यह स्वीकृत तथ्य है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी मानते हुए स्थानान्तरण किया गया है, जबकि अपीलार्थी प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति हो चुकी है तथा राज्य सरकार ने बाद में साथ में संशोधन आदेश दिनांक 19.12.2022 के

द्वारा अपीलार्थी का पद भी चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी संशोधित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान चिकित्सालय में करीब 19 वर्ष से कार्यरत है तथा मेन्टल अस्पताल में अपीलार्थी के पास मानसिक रोग की कोई विशेष योग्यता नहीं है परन्तु स्थानान्तरित स्थान पर अपीलार्थी का पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह छूट प्रदान की जाती है कि अपीलार्थी को पदानुसार प्रत्यर्थी विभाग स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक 11.08.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य